न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 123/2019

श्री बाबूसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह, जाति भरावा, निवासी ग्रामगोविन्दगढ़,तहसील पीसांगन, जिला अजमेर हाल निवासी ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री अजीतसिंह, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–15.03.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2076 में श्री बाबूसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह, जाति भरावा, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर हाल निवासी ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ने ग्राम गोविन्दगढ़ के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 2418, 2408 एवं 2419 रकबा क्रमशः 0.01, 0.16 एवं 0.14 हैक्टर किस्म क्रमशः गै0मु0चाह, गै0मु0 श्मशान एवं गै0मु0 रास्ता पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 45/2019 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 28.05.2019 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 28.05.2019 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा विवादित भूमि की मौका स्थिति की जांच किये बिना आक्षेपीय आदेश पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उन्होने कथन किया कि ग्राम गोविन्दगढ स्थित आराजी हाल खसरा संख्या 2418 रकबा 0.01 है0, पुराना खसरा संख्या 1409 रकबा 0–01–10 बीघा पर अपीलान्ट का कदीमी चाह मुर्तिब है जिससे अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि साबिक खसरा संख्या 1410 रकबा 21–05–00 बीघा की सिंचाई करते आ रहे हैं। साबिक खसरा संख्या 1409 का उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 14.12.56 को अपीलान्ट के पूर्वज श्री भैरू व श्री माधु पुत्रगण श्री सुरा के पक्ष में आवंटन करते हुए उनके हक में पट्टा जारी किया गया जिसका अधिकार अभिलेख में अमल दरामद नहीं होने से अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 473/1980 दर्ज करते हुए दिनांक 28.07.1980 को आदेश पारित किया गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा पट्टा प्रस्तुत करने पर धारा 91 की कार्यवाही निरस्त कर दी गई। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी स्थित चाह आवंटनशुदा चाह होने से धारा 91 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आवंटन आदेश व पट्टे की पालना में अधिकार अभिलेख में अमल दरामद नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अन्य आराजियात के साथ पुनः धारा 91 की कार्यवाही करते हुए आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना नोटिस तामील कराये एकतरफा कार्यवाही कर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। जो आक्षेपीय आदेश से सिद्ध होता है। उन्होने आगे कथन किया कि वादग्रस्त/आवंटनशुदा आराजी चाह पर वर्षों पूर्व से अपीलान्ट की एक छोटी कोटड़ी बनी होकर वाटर पम्प सेट लगा था जिससे सिंचाई की जाती थी एवं वर्तमान में विद्युत मोटर लगी हुई है जिसे पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में पक्का निर्माण बताया गया है। उनका कथन है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 2408 व 2419 पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण न होकर अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है एवं इनके द्वारा ही अपीलान्ट की आराजी साबिक खसरा संख्या 1410 के आंशिक भाग पर भी अतिक्रमण कर रखा है किन्तु वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट की खातेदारी आराजी से लगती हुई होने के कारण अन्य व्यक्तियों के अतिक्रमण को अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुए बिना जांच किये पटवारी हल्का की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि यदि विधिक नोटिस तामील होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो वह आवंटन आदेश व पट्टा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देता जिससे अन्य व्यक्तियों के अतिक्रमण के सम्बन्ध में भी भौतिक स्थिति स्पष्ट हो जाती। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस तामील करवाते हुए सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। विवादित आराजियात पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा विवादित/पट्टाशुदा आराजी साबिक खसरा संख्या 1409 हाल खसरा संख्या 2418 का उनके पूर्वजों को आवंटन होना व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पट्टा जारी किया जाना बताया है जो अभिलेख से प्रतीत भी होता है। साथ ही यह तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध है कि अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर द्वारा अपीलान्ट के पूर्वजों के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही भी इस पट्टे में वर्णित खसरा नंबर के आधार पर खारिज की गई है। ।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के परिपेक्ष्य में तहसीलदार, पीसांगन को निर्देश दिये जाते हैं कि वे 15 दिवस में इस तथ्य की जांच करें कि अपीलान्ट के पूर्वजों को आवंटित/पट्टे में वर्णित आराजी एवं वादग्रस्त आराजी एक ही है। दोनों आराजी एक ही होने की स्थिति में केवल पट्टे में वर्णित आराजी की हद तक अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अन्यथा स्थिति में तहसीलदार, पीसांगन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा एवं अपील अपीलान्ट पूर्ण रूप से खारिज मानी जायेगी तथा तहसीलदार द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की जायेगी।

आदेश आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर